न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः नरेश कुमार मालव, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या : 54/2018 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

जगदीश प्रसाद गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर।

आवेदक

बनाम

महेन्द्र सिंह पुत्र श्री तुलसीराम उम्र 28 वर्ष जाति कडेरा–विक्रेता एवं मालिक तुलसीराम हलवाई, रेलवे फाटक के पास, नदबई जिला भरतपुर, निवासी रेलवे फाटक के पास नदबई भरतपुर

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26 की उप धारा (2)(ii) एफ.एस.एस. एक्ट, 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

दिनांक : 26.02.2020

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26 की उप धारा (2)(ii) एफ. एस.एस.एक्ट, 2006 एवं नियम 2011 के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायल दिनांक 12.12.2018 को प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल श्री महेन्द्र सिंह को इस न्यायालय से जारी नोटिस क्रमांक 535 दिनांक 27.09.2019 स्वयं प्राप्त किया है। गैरसायल बाबजूद सूचना के अनुपस्थित है। इस्तगासा की नकल नोटिस के साथ गैरसायल को भेजी गई। प्रार्थी को कई बार आवाज लगाई गई परन्तु वह उपस्थित नहीं आये। इस्तगासा में संक्षिप्त में अंकित तथ्य यह है कि दिनांक 22.08.2018 को प्रातः 11.50 बजे गैरसायल की दुकान तुलसीराम हलवाई रेलवे फाटक के पास नदबई का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण उक्त दुकान पर 10 किग्रा0 मीठा घेवर (वनस्पति से निर्मित) लोहे की ट्रे में रखे हुये थे। जिसका विक्रय आम जनता के इस्तेमाल के लिये कर रहा था। जिसमें शक होने पर नियमानुसार मौके पर 2 किग्रा0 मीठा घेवर (वनस्पति से निर्मित) 240/–रूपये में क्रय किया गया तथा उसमें से नमूना लिया गया। नमूना खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

भरतपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक अलवर के यहां जांच हेतु भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./521/एक्ट/2018/540 दिनांक 04.09.2018 द्वारा उक्त मीठा घेवर (वनस्पति से निर्मित) का नमूना अवमानक (Sabstandard) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल द्वारा अवमानक (Sabstandard) प्रकृति की खाद्य वस्तु विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (2)(ii) का उल्लघंन किया है।

गैरसायलान के नोटिस गैरसायलान के द्वारा प्राप्त करने के बाबजूद भी वह जानबूझ कर इस प्रकरण में उपस्थित नहीं हुये है। गैरसायलान के उपस्थित नहीं होने के कारण गैरसायलान पर निर्धारित किये गये आरोप गैरसायल को स्वीकार है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वक्त निरीक्षण दिनांक 22.08.2018 को गैरसायल की दुकान तुलसी हलवाई रेलवे फाटक नदबई से आम जनता के विक्रय हेतु संग्रहित मीठा घेवर (वनस्पति से निर्मित) का नमूना लिया गया, जो खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट दिनांक 04.09.2018 द्वारा नमूना अमानक (Sabstandard) प्रकृति का पाया गया है। खाद्य विश्लेषक अलवर की नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 04.09.2018 में Test for added colouring matters का मानक Absent होना चाहिये था लेकिन Positive पाया गया है, Baudoin test for Vanaspati of extracted fatty material का मानक Positive होना चाहिये था लेकिन Negative पाया गया, जो निर्धारित मानक के अनुसार नहीं है। गैरसायल उक्त अनियमितता के लिये दोषी है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर गैरसायल को 10000/– रूपये (दस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल से अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। निर्णय की प्रति पालनार्थ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दि. 26.02.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(नरेश कुमार मालव)
न्याय निर्णायन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
भरतपुर